

जवाब दिनांक 27-11-20 को पेश  
है।

7-11-20

कार संघ द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। पीठासीन अधिकारी अन्वयुक्त कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17-12-20 को पेश होंगे।

7-12-20

कार संघ द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। पीठासीन अधिकारी अन्य युक्त कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29-12-20 को पेश होंगे।

29-12-20

पत्रावली पर कार्रवाई उपरोक्त दिनांक 05-1-21 को पेश है।

05-1-21

पत्रावली पर कार्रवाई हुई। मूल वाद खारिज किया जा चुका है। मूल वाद के खारिज होने से 25 जनवरी को कार्य को अंतिम रूप दे दिया जाता है। अतः 25 जनवरी को भी खारिज किया जाता है। दिनांक 20-8-20 को जारी अध्यादेश निषेधाज्ञा को अंतिम किया जाता है। पत्रावली द्वारा मूल से कार्य होकर वाद तर्कपूर्ण जाता है। संलग्न मूल वाद सं. 81/2020 अनवान सरकार बनाम खुजाता देवी रहे।

(उमेश सिंह खन्ना)

उपसंहार अधिकारी